



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।
दूरभाष नं० 0135-2775813, 14.16 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक 818 /स्थानान्तरण-2019-20 /2019-20 दिनांक 25 जून 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित सुगम कार्यालयों में कार्यरत सुपरवाइजरर्स को तालिका के कालम 04 में उल्लिखित दुर्गम कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्रीमती तुलसी आर्या	रुद्रपुर शहर ऊ०नगर	धारी नैनीताल	स्थानान्तरण जनहित में। अधिनियम की धारा 07 के अनुसार
2	श्रीमती आशा जोशी	रुद्रपुर शहर ऊ०नगर	ताकुला अल्मोड़ा	
3	श्रीमती इन्द्रा बर्गली	बाजपुर ऊ०नगर	चौखुटिया अल्मोड़ा	
4	श्रीमती मीना आर्या	हल्द्वानी ग्रामीण नैनीताल	ओखलकाण्डा नैनीताल	
5	श्रीमती प्रेमलता गुज्याल	बाजपुर ऊ०नगर	कोटाबाग नैनीताली	
6	श्रीमती सुषमा रावत	रुड़की प्रथम हरिद्वार	बीरोंखाल पौड़ी गढवाल	
7	श्रीमती साधना शर्मा	डोईवाला देहरादून	यमकेश्वर पौड़ी गढवाल	
8	श्रीमती अनुबाला नौटियाल	बहादुराबाद-प्रथम हरिद्वार	यमकेश्वर पौड़ी गढवाल	
9	कु० सुनीता पन्त	रुद्रपुर ग्रामीण ऊ०नगर	कोटाबाग नैनीताल	
10	श्रीमती प्रतिभा गोस्वामी	हरिद्वार शहर	ऊखीमठ रुद्रप्रयाग	
11	श्रीमती लक्ष्मी आर्या	खटीमा ऊ०नगर	ओखलकाण्डा नैनीताल	
12	श्रीमती नीरू पाण्डेय	रुद्रपुर ग्रा०ऊ०नगर	कोटाबाग नैनीताल	
13	श्रीमती पुष्पा वल्दिया	रायपुर देहरादून	चकराता देहरादून	
14	श्रीमती आशा भट्ट	लक्सर हरिद्वार	गैरसैण चमोली	
15	श्रीमती कविता जाखड़	बहादुराबाद- प्रथम	खानपुर हरिद्वार	
16	श्रीमती मंजू सिंह	शहर देहरादून	चकराता दे०दू०	
17	श्रीमती उर्मिला सिंह	काशीपुर ग्रा०ऊ०नगर	सल्ट अल्मोड़ा	

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराये। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(झरना कमठान)
निदेशक

(Handwritten signature)



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुझौवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।



दूरभाष नं० 0135-2775813, 14,16 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पृष्ठांकन संख्या C-818 / दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 3 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक।
- 8 व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखौवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।



दूरभाष नं० 0135-2775813, 14,16 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक 819/स्थानान्तरण-2019-20 /2019-20

दिनांक

25 जून 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित दुर्गम कार्यालयों में कार्यरत सुपरवाइजरर्स को तालिका के कालम 04 में उल्लिखित सुगम कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	
1	श्रीमती अनीता चौधरी	चौखुटिया अल्मोड़ा	धौला देवी अल्मोड़ा	स्थानान्तरण जनहित में। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार।	
2	श्रीमती विनीता सजवाण	एकेश्वर पौड़ी गढवाल	जयहरीखाल पौड़ी गढवाल		
3	श्रीमती पुष्पा थपलियाल	यमकेश्वर पौड़ी गढवाल	बहादुराबाद- द्वितीय हरिद्वार		
4	श्रीमती दमयन्ती धर्मसक्तू	ताकुला अल्मोड़ा	विण पिथौरागढ		
5	श्रीमती सुनिता अग्रवाल	नौगाँव उत्तरकाशी	नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल		
6	श्रीमती ब्रहमी देवी	चकराता देहरादून	डोईवाला देहरादून		
7	श्रीमती तुतला देवी	भिलंगना टिहरी गढवाल	नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल		

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करायें। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(झरना कमठान)

निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 3 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक।
- 8 व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्धीवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।



दूरभाष नं० 0135-2775813, 14,16 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक 220/स्थानान्तरण-2019-20 /2019-20 दिनांक 25 जून 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित दुर्गम कार्यालयों में कार्यरत सुपरवाइजरर्स को तालिका के कालम 04 में उल्लिखित सुगम कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती परियोजना का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती परियोजना का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्रीमती सरोजनी गौड़	भगवानपुर हरिद्वार	डोईवाला देहरादून	निजी अनुरोध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार।
2	श्रीमती पुष्पा	डोईवाला देहरादून	रायपुर देहरादून	
3	श्रीमती किरनलता जोशी	मुनस्यारी पिथौरागढ	चम्पावत	
4	श्रीमती अनिता वर्मा	बहादुराबाद प्रथम	देहरादून शहर	

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करायें। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(झरना कमठान)
निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 3 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक।
- 8 व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुद्धीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक /स्थानान्तरण- /2019-20

दिनांक 25 जून, 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में किया जाता है :-

क्र.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री राजेन्द्र सिंह धर्मवाण	बा.वि.परि. भगवानपुर-हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. गैरसैण-चमोली ।	दुर्गम	निजी अनुरोध 13(2)
02	श्रीमती सुरमा पंवार	बा.वि.परि. डोईवाला-देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. नौगांव उत्तरकाशी	दुर्गम	निजी अनुरोध 13(2)

स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(झरना कमठान)

निदेशक,

पृष्ठांकन संख्या ...९..१२..१... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित अधिकारी।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक,

f:\transfer 2019 lettest 02\transfer lettest new karyavirt 22.06.19\transfer order-19.docx



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक

/स्थानान्तरण- /2019-20

दिनांक 25 जून, 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित **कनिष्ठ सहायक** का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में किया जाता है :-

क्र.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री लाल सिंह गैडा	बा.वि.परि. कोटाबाग-नैनीताल	दुर्गम	जिला कार्यक्रम कार्यालय नैनीताल	सुगम	जनहित में (धारा-10)

स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(झरना कमठान)

निदेशक,

पृष्ठांकन संख्या 6822 दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित अधिकारी।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक,



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक ८०२३ /स्थानान्तरण- /2019-20

दिनांक २५ जून, 2019

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित **अनुसेवक** का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में किया जाता है :-

क्र.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री त्रिलोक सिंह रावत	बा.वि.परि. अगस्त्यमुनि-रूद्रयाग ।	दुर्गम	बा.वि.परि. शहर-देहरादून ।	सुगम	निजी अनुरोध । 13(2)

स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(झरना कमठान)

निदेशक,

पृष्ठांकन संख्या ८०२३ दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित अधिकारी।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक,